

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-6/ज0गु0-101/2016 (खण्ड III)- 493 (मग) पटना, दिनांक-29/04/2025
सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
जल जीवन मिशन,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।

विषय- वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव तथा परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (फ्लोराइड प्रभावित) निश्चय योजना के रख-रखाव तथा परिचालन हेतु राज्यांश मद से **₹6.35192 लाख (छः लाख पैंतीस हजार एक सौ बेरानवे रुपये) मात्र की विमुक्ति।**

महाशय

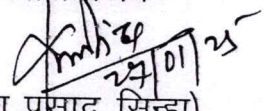
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के गुणवत्ता प्रभावित टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के निर्माण एवं पाँच वर्षों के रख-रखाव एवं परिचालन के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) निश्चय योजना हेतु विभागीय पत्रांक-6/ग्रा0 ज0-1-101/16-691, दिनांक-03/03/16 द्वारा 7439.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा एवं मुंगेर से अधियाचना प्राप्त है। प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में उक्त प्रमंडलों के अंतर्गत फ्लोराइड प्रभावित टोलों/बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु योजना के पांच वर्षों के रख-रखाव तथा परिचालन हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा एवं मुंगेर को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के JJM के नोडल खाता से राज्यांश मद की उपलब्ध निधि से निम्न तालिका के अनुसार **₹6.35192 लाख (छः लाख पैंतीस हजार एक सौ बेरानवे रुपये) मात्र की राशि PFMS के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	राज्यांश मद में स्वीकृत राशि	राज्यांश मद में अब तक विमुक्त राशि	सामान्य	अनु० जाति	विमुक्त राशि (लाख रु० में)	
						अंको में	शब्दों में
1	शेखपुरा	1212.46875	1182.09487	2.00	0.47340	2.47340	दो लाख सैतालीस हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र।
2	मुंगेर	1481.90625	1474.76763	3.00	0.87852	3.87852	तीन लाख सतासी हजार आठ सौ बावन रुपये मात्र।
Total				5.00	1.35192	6.35192	छः लाख पैंतीस हजार एक सौ बेरानवे रुपये मात्र।

अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के राज्यांश मद से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा एवं मुंगेर को उक्त राशि PFMS के माध्यम से विमुक्त की जाय।

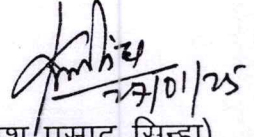
विश्वासभाजन


(राजेश प्रसाद सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक-6/ज0गु0-101/2016 (खण्ड III)- 425(मा0)

पटना, दिनांक-29/01/2025

1. प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 - i. बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत NRDWP- राज्यांश मद में PFMS के माध्यम से विमुक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर किया जाए।
 - ii. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।
 - iii. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, के आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिलिपि-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र-भागलपुर/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/ बजट पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ उप निदेशक (अन्वेषण)/ उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित/कार्यपालक अभियन्ता (मो01/मो02)/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमण्डल संख्या-10/आई0 टी0 मैनेजर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/प्रशाखा पदाधिकारी-6/ कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेश प्रसाद सिन्हा)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन)।